प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण, उ0प्र0
जगत नरायन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: मा0शि0क0 / एन0आर0एच0एम0 / वी.एच.एस.एन.सी. / 2013–14 / दिनांक: 26/8/2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकेन्द्रीकरण (Decentralization) अति आवश्यक है। ग्राम सभा द्वारा अपने–अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार **"ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना"** बनाकर समुदाय विशेष के निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं के विषय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी देने एवं सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश सं0 287/5–9–07–9(37)/02 अप्रैल, 2012 के द्वारा **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** को पोषण सम्बन्धी दायित्वों को देते हुए पुर्नगठन किया गया है। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के पत्र सं0 एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.सी./2011–12/10–3/ 173–72 दिनांक 8.5.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** के खाते में प्रति ग्राम सभा रू0 10,000.00 की असम्बद्ध अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। गत वर्ष इस मद में किये गये व्यय के आधार पर इस वर्ष 2013–14 के अनुमोदित पी0आई0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी 2.4 में कुल अपेक्षित धनराशि का 36 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। यह धनराशि जनपदवार, ग्राम सभा की संख्या के सापेक्ष, मिशन फ्लैक्सीपूल मद में निम्न तालिका के अनुसार मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 कार्यालय द्वारा अवमुक्त की जा रही है।

Sl	Div	Districts	Untied Fund (Rs. In lacs) VHSNC B2.4			
			No.of Unit	No.of Unit for those Amount Approved	Amount Proposed	Amount Approved @ 36%
1	Agra	Agra	640	640	64.00	23.04
2		Firozabad	506	508	50.80	18.29
3		Mainpuri	503	503	50.30	18.11
4		Mathura	479	478	47.80	17.21
5	Allahabad	Allahabad	1376	1422	142.20	51.19
6		Fatehpur	786	786	78.60	28.30
7		Kaushabi	440	440	44.00	15.84
8		Pratargarh	1105	1104	110.40	39.74
9	Aligarh	Aligarh	853	850	85.00	30.60
10		Etah	509	416	41.60	14.98
11		Hathras	658	430	43.00	15.48
12		Kasganj	389	389	38.90	14.00
13	Azamgarh	Azamgarh	1617	1532	153.20	55.15
14		Mau	600	595	59.50	21.42
15		Balia	833	616	61.60	22.18
16	Bareilly	Bareilly	1007	1007	100.70	36.25
17		Badaun	885	885	88.50	31.86
18		Pilibhit	599	570	57.00	20.52
19		Shahjahanpur	922	922	92.20	33.19
20	Basti	Basti	1047	1047	104.70	37.69
21		Sant Kabir Nagar	648	648	64.80	23.33
22		Siddharth Nagar	999	999	99.90	35.96

23	Chitrakoot	Chitrakoot	330	330	33.00	11.88
24		Banda	437	437	43.70	15.73
25		Hamirpur	314	314	31.40	11.30
26		Mahoba	247	247	24.70	8.89
27	Devipatan	Baharaich	903	903	90.30	32.51
28		Balampur	667	667	66.70	24.01
29		Gonda	1054	1054	105.40	37.94
30		Shrawasti	334	334	33.40	12.02
31	Faizabad	Faizabad	729	729	72.90	26.24
32		Ambedkar Nagar	786	786	78.60	28.30
33		Amethi (CSM Nagar)	1002	722	72.20	25.99
34		Barabanki	1002	1002	100.20	36.07
35		Sultanpur	805	805	80.50	28.98
36	Gorakhpur	Gorakhpur	1233	1233	123.30	44.39
37		Deoria	1017	1007	100.70	36.25
38		Kushinagar	956	956	95.60	34.42
39		Maharajganj	777	777	77.70	27.97
40	Jhansi	Jhansi	437	436	43.60	15.70
41		Jalaun	564	564	56.40	20.30
42		Lalitpur	340	340	34.00	12.24
43	Kanpur	Kanpur Dehat	612	612	61.20	22.03
44		Kanpur Nagar	557	557	55.70	20.05
45		Kannauj	441	439	43.90	15.80
46		Farrukhabad	512	510	51.00	18.36
47		Etawah	420	420	42.00	15.12
48		Auraiya	441	441	44.10	15.88
49	Lucknow	Lucknow	495	495	49.50	17.82
50		Hardoi	1101	1101	110.10	39.64
51		Sitapur	1329	1329	132.90	47.84
52		Lakhimpur	995	995	99.50	35.82
53		Unnao	954	954	95.40	34.34
54		Raibareilly	695	695	69.50	25.02
55	Meerut	Meerut	460	455	45.50	16.38
56		Baghpat	237	234	23.40	8.42
57		Bulandshahar	889	884	88.40	31.82
58		G.B. Nagar	244	237	23.70	8.53
59		Ghaziabad	146	151	15.10	5.44
60		Hapur (Panchsheel nagar)	254	254	25.40	9.14
61	Moradabad	Moradabad	578	578	57.80	20.81
62		Amroha (J.P.Nagar)	484	484	48.40	17.42
63		Bijnor	959	959	95.90	34.52
64		Rampur	580	580	58.00	20.88
65		Sambhal (Bhim nagar)	566	566	56.60	20.38
66	Mirzapur	Mirzapur	758	758	75.80	27.29
67		Sant Ravidas nagar (Bhadohi)	489	481	48.10	17.32
68		Sonbhadra	501	501	50.10	18.04
69	Saharanpur	Saharanpur	769	769	76.90	27.68
70		Muzaffar nagar	457	457	45.70	16.45
71		Shamli (Prabuddha nagar)	230	230	23.00	8.28
72	Varanasi	Varanasi	702	702	70.20	25.27
73		Chandauli	620	616	61.60	22.18
74		Jaunpur	1514	1049	104.90	37.76
75		Ghazipur	1050	1490	149.00	53.64
Total			**52374**	**51413**	**5141.30**	**1850.87**

यह धनराशि निम्न शर्तो के अधीन **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** के खातें में स्थानान्तरित किया जाना है:—

1. अवमुक्त की गयी राशि केवल उन ग्राम सभा को स्थानान्तरित की जायेगी जिनके द्वारा नियमानुसार **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** का खाता बैंक में उपलब्ध है।
2. वर्ष 2013–14 के लिए ग्राम सभा को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा व्यय विवरण जनपद स्तर पर निश्चित एफ0एम0आर0 कोड में अंकित कर भेजा जाय। ग्राम सभा के खाते में 1 अप्रैल, 2013 में अवशेष उपलब्ध धनराशि की जानकारी सम्बन्धित ए0एन0एम0 से अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से संलग्न प्रारूप पर प्राप्त कर ली जाय।
3. इस वर्ष ग्राम सभा के खाते में अवशेष धनराशि का समायोजन शत–प्रतिशत किया जाना है। अतः **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति" के खाते में 1 अप्रैल, 2013 में उपलब्ध धनराशि के अनुसार रू0 10,000.00 की सीमा तक शेष धनराशि अवमुक्त की जाय।** (उदाहरण के लिये किसी ग्राम सभा के खाते में दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को रू0 2476.00 अवशेष है तो उस ग्राम सभा को रू0 7524.00 की धनराशि स्वीकृत की जायेगी।) आवंटन के उपरान्त अवशेष धनराशि की सूचना कार्यालय मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ को अवगत करा दें, जिससे मिशन फ्लैक्सीपूल मद की धनराशि का समुचित समायोजन किया जा सके।
4. जिस ग्राम सभा में रू0 10,000.00 अथवा इससे अधिक धनराशि अवशेष है उन ग्राम सभाओं को इस वर्ष कोई भी धनराशि अवमुक्त न की जाय, केवल रू0 10,000.00 से अधिक धनराशि की सीमा तक व्यय की वित्तीय स्वीकृत जारी की जाय।
5. **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** द्वारा धनराशि के व्यय करने से पूर्व ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनायी जाये। प्राप्त करायी गयी धनराशि को योजना के अनुरूप ही व्यय की जाये और व्यय सम्बन्धी वाउचर सम्बन्धित आशा तथा आँगानवाड़ी, निर्वाचित सदस्य/प्रतिनिधि में से किसी दो के हस्ताक्षर कराये जाये जिससे कि आवंटित धनराशि का व्यय समुचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
6. भारत सरकार के आदेश संख्या Z-18015/12/2012-NRHM-II दिनांक 3 जुलाई, 2012 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जा रहा है कि "ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति" की प्रत्येक माह बैठक आयोजित करायी जाय।
7. **ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाने के विषय में दिशा–निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं।**
8. ग्राम पंचायत को यदि किसी अन्य योजना यथा नरेगा, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा अन्य किसी योजना में धनराशि प्राप्त हुई है तो ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाते समय उपलब्ध धनराशि का ध्यान रखा जाये तथा धनराशि का व्यय इस प्रकार से किया जाये कि धनराशि का दुरुपयोग अथवा डुप्लीकेशन न हो।
9. जिन ग्राम सभा द्वारा समय से कार्ययोजना अनुसार व्यय नही किया जाता है अथवा व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम सभा को धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी तथा राशि स्वतः लैप्स हो जायेगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम सभा की होगी।

वित्तीय व्यवस्था

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को धनराशि अवमुक्त करते समय पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2, 3 व 4 का विशेष ध्यान रखा जाय।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में हुई वित्तीय अनियमितताओं एवं धांधलियों की जाँच सी0ए0जी0 एवं सी0बी0आई0 द्वारा की जा रही है। अतः **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** के सभी अध्यक्षों, प्रधानों एवं ए0एन0एम0 की बैठक तहसीलवार करके उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जा रही धनराशि के व्यय में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतने व रिकार्ड रखने के निर्देश दे दिये जायें एवं पत्र के साथ ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाने सम्बन्धी पत्र के साथ संलग्नक को प्रधानों में पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर वितरित करायें। पर्यवेक्षण के लिये सत्यापन योग्य मानक नीचे तालिका में दिये जा रहे हैं, का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

विम: **Varifiable Indicator for Monitoring**

VIM No 32

Untied fund for VHSNC
VIM Indicators: 1. DHS approved comprehensive annual plan submission by MOI/C to CMO. 2. Fund utilized as per approved annual plan 3. Fund will be transferred from DHS to a/c of VHSNC electronically through Supdt./MoI/C.
Verification of Indicators: 1. Annual plan submission. 2. Report of fund utilization as per plan approved by DHS.
Mode of Disbursement: 1. The State will release the full amount in first instalment itself to the DHS and the later will disburse the amount to CHC/PHC on the basis of adjusting the released amount with the Balance amount of the VHSNC account for the

previous year.

2. Fund will be transferred from DHS to CHC/PHC a/c of mission flexipool part-B electronically.
3. Fund will be transferred from CHC/PHC a/c electronically/ through Bank advisory in to the joint account of ANM & pradhan to VHSNC.

Guidelines:

1. Joint ANM & pradhan Bank account of VHSNC is essential..
2. All VHSNC will prepare their annual plan for expenditure under untied grant and get the approval of DHS through MoI/C of CHC/BPHC..
3. All expenditure has to be done as per approved plan.

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों का नियमित पर्यवेक्षण करने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विस्तृत कार्ययोजना बनायी जाय। कार्ययोजना में ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों में कम से कम एक ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षक (जैसे– पुरूष एवं महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं अन्य चिकित्साधिकारी आदि) पर्यवेक्षण कार्ययोजना का एक प्रति जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध करायी जाय, जिससे जिला एवं राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक भी इन बैठकों का पर्यवेक्षण कर सकें। पर्यवेक्षण हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा अनुमोदित चेकलिस्ट का उपयोग किया जाय। जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारी अपने ब्लॉक चिकित्सकीय चिकित्सालयों का भ्रमण के समय इन चेकलिस्टों को अवश्य देखें।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के द्वारा किये गये व्ययों का विवरण वाउचर सहित नियमानुसार सुरक्षित रखा जाय तथा ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायें। प्रत्येक वर्ष जनपद के 2 से 3 प्रतिशत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन जिला स्तरीय लेखा अधिकारी द्वारा अवश्य कराया जाय तथा इसकी संकलित रिपोर्ट तथा किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लखनऊ को अवश्य प्रेषित की जाय।

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त दिशा–निर्देश मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/कम्यू.प्रो./आर.के. एस./2013–14/08/1809 दिनांक 24.7.2013 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांक: मा0शि0क0/एन0आर0एच0एम0/वी.एच.एस.एन.सी./2013–14/4703-10 तददिनांकः

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, (पोलिसी) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याया मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को आदेश सं0 Z-18015/12/2012-NRHM-II दिनांक 3 जुलाई, 2012 के अनुपालन में सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. आयुक्त ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्राविधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ0प्र0।
10. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस आशय से कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

23.08.13.

महानिदेशक
परिवार कल्याण

संलग्नक–1

"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति" की त्रैमासिक बैठक का आयोजन करने तथा ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाने हेतु दिशा–निर्देश

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी है। बैठक आयोजन के विषय में यह सुनिश्चित किया जाये कि समिति में जिन सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना है उन्हें बैठक आयोजन के समय एवं तिथि की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाये तथा 1 दिन पूर्व आशा के सहयोग से अनुस्मरण कराया जाये।
- बैठक आयोजन हेतु जारी की गयी सूचना का एजेण्डा रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाये।
- बैठक की सूचना जारी होने के उपरान्त समिति के कम से कम 4–5 सदस्यों (जिसमें कम से कम 2 महिलायें भी हों) द्वारा गाँव का भ्रमण किया जाये तथा भ्रमण के समय दृष्टिगोचर/विचारणीय बिन्दुओं एवं कराये गये कार्य पर जानकारी प्राप्त की जाये ताकि बैठक में विस्तृत चर्चा की जा सके।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि के अनुरूप मौसम को ध्यान में रखते हुये ग्राम स्वास्थ्य योजना बनायी जाये। योजना का प्रारूप संलग्न है। योजना बनाते समय सावधानी रखी जाये कि तैयार की गयी कार्ययोजना में किसी कार्य हेतु यदि अन्य विभाग से कोई धनराशि प्राप्त हुई है, तो उस मद में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते से धन का व्यय न किया जाये।
- गर्मी के मौसम में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिये योजना यथा पीने वाले पानी के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाना, हैण्ड पंपों के चारों ओर सफाई की व्यवस्था करना।
- हैण्ड पम्प क्रियाशील रहें इसके लिये सम्बन्धित विभाग से सहयोग लिया जाये परन्तु आकस्मिकता की स्थिति में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के खाते में उपलब्ध राशि से व्यय किया जा सकता है।
- किसी भी महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना।
- बरसात के मौसम में गाँव की नालियों में पानी की निकासी की व्यवस्था किया जाना।
- मच्छरों के बढ़ने व पैदा न होने देने की कार्ययोजना बनान। जमा पानी में मच्छरों के लार्वो को नष्ट करने के लिये दवा का छिड़काव कराया जाना।
- समुदाय को स्वास्थ्य एवं बीमारियों की रोकथाम की जानकारी देन के लिये डुग्गी पिटवाना।
- आँगनवाड़ी, गाँव के स्कूल, पंचायत घर, उपकेन्द्र की दीवालों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थनों पर स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी सम्बन्धी दीवाल लेखन कराया जाना। इस हेतु निम्नलिखित सन्देश उपयोगार्थ दिये जा रहे हैं।
- बरसात के उपरान्त गाँव के कूड़े–करकट के ढेर का निस्तारण कराना।
- अन्य स्थानीय समस्यायें जो बैठक से पूर्व गाँव के भ्रमण के समय दृष्टिगत हुई हों हेतु संसाधन जुटाना।
- अत्यन्त निर्धन एवं बेसहारा महिलाओं एवं अति कुपोषित बच्चों के लिये विभागीय पूरक पोषाहार उपलब्ध न होने की दशा में पोषाहार की व्यवस्था कराना तथा चिकित्साधिकारी से सलाह लेकर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के लिये सहयोग करना।
- समुदाय में पोषण के सम्बन्ध में जागरूकता फैलायेगी तथा लोगों में स्वस्थ रहने में पोषाहार के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी देगी।
- अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर एवं कुपोषण का सर्वेक्षण का कार्य करायेगी।
- अपने क्षेत्र में उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थो एवं फल आदि जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो, की पहचान करने हेतु उनका प्रचार–प्रसार करेगी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान जो क्षेत्रीय संस्कृति, क्षमता एवं प्राकृतिक वातावरण के समनुरूप हों, को सामुदायिक परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ावा देगी।
- ए.एन.एम., आँगनवाड़ी, आशा एवं मुख्य सेविका के सहयोग से पोषण की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तेयार करेगी। ग्राम में यदि कुपोषित बच्चे हैं तो कुपोषण के कारण की जानकारी कर इन कारणों को दूर करने का प्रयास करेगी।
- गाँव में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में सक्रियता से सहयोग प्रदान करेगी एवं समुदाय को प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करेगी।

- बच्चों के कुपोषण की शीघ्र पहचान कर निकटस्थ सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र में संदर्भित करेगी व उन बच्चों का समुदाय स्तर पर फालोअप करेगी।
- आँगानवाड़ी के क्रिया–कलापों का पर्यवेक्षण करेगी तथा महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति को बेहतर करने में आँगनवाड़ी केन्द्र की सहायता करेगी।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण हेतु एक मंच प्रदान करेगी।
- बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के लिये आकस्मिक "रिफरल ट्रान्सपोर्ट" की व्यवस्था करना। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को प्राप्त करायी गयी कुल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक इस मद में व्यय न किया जाये।
- पर्यावरण सुरक्षा के लिये सदस्यों की सहमति से यथा आवश्यक व्यवस्था करना।
- स्वास्थ्य एवं पर्यावरण एवं पोषण से सम्बन्धित विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों के उपलक्ष्य में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय।
- कार्ययोजना को संलग्न प्रारूप पर भर कर **सूचीबद्ध कर लिया जाये**। अन्य विभागों की योजनाओं में प्राप्त अनुदान एवं संसाधनों को दृष्टिगत **प्राथमिकता निश्चित कर ली जाये** और समयबद्ध रूप में गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाये।
- बैठक की कार्यवाही समिति के कार्यवाही रजिस्टर में अंकित की जाये तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करायें जायें।
- बैठक में वार्षिक स्वास्थ्य योजना बनायी जाये तथा प्रत्येक त्रैमास में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित कर गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाये एवं अग्रिम कार्ययोजना पर चर्चा की जायें। कराये गये कार्य सम्बन्धी व्यय के वाउचर्स सुरक्षित रखें जायें।

वित्तीय प्रबन्धन

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि तथा व्यय का ब्यौरा पंचायत घर में बोर्ड पर पेन्ट द्वारा लिखवाया जाये, जिससे पारदर्शिता बनायी जा सके। समिति की कैशबुक अलग से बनायी जाये जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण अंकित किया जाये।
- व्यय विवरण एवं अवशेष धनराशि की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माहवार तैयार कर त्रैमासिक रूप से प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जाये जिससे आगामी किश्त के आवंटन में कोई कठिनाई न हो।
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में उपलब्ध राशि का विवरण वर्ष वार पंचायत घर में दीवाल पर पेन्ट द्वारा लिखवाया जाये।**
- कैशबुक एवं बिल/वाउचर्स ऑडिट के समय जाँच हेतु प्रस्तुत किये जायें।
- प्रधान/ए.एन.एम. द्वारा वर्ष वार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाये।

सूचना का प्रेषण

आशा को विलेज हैल्थ रजिस्टर उपलब कराये गये हैं, आशा को प्रेरित किया जाये कि वह रजिस्टर पूर्ण करें। उपलब्ध रजिस्टर की सूचना के अनुसार स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने तथा ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में सहायत मिलेगी। ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना की एक प्रति प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित की जाये।

जनपद का नाम..

सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम...............................

"ग्रामीण स्वास्थ्या, स्वच्छता एवं पोषण समिति" के खाते में उपलब्ध वर्ष 2013–14 की स्थिति एवं धनराशि का समायोजन

क्र0 सं0	उप केन्द्र का नाम	ए.एन.एम. का नाम	उपकेन्द्र क्षेत्र में ग्राम सभाओं के नाम	ग्राम सभाओं के खातों की संख्या	1 अप्रैल 2013 को उपलब्ध अवशेष धनराशि	वर्ष 2013–14 के लिये अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	समायोजन के उपरान्त रू0 10,000 से अधिक उपलब्ध धनराशि जिसे वापस किया जाना है।

हस्ताक्षर

अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी

का नाम

सील

दिनांक